न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 9/2021 नामान्तरकरण अपील

1. रणजीता पुत्र रामसहाय दत्तक पुत्र भोमा जाति योगी निवासी चांदूसा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 142 व आदेश दिनांक 3.6.2019 द्वारा तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा

उपस्थिति :– : श्री नरेश कुमार महावर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 23.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चांदूसा तहसील सिकराय में आराजी खसरा नम्बर 440 रकबा 0.01 है., 441 रकबा 0.51 है., 465 रकबा 0.92 है., 466 रकबा 0.03 है, 467 रकबा 0.02 है., 468 रकबा 0.04 है., 487 रकबा 0.13 है. कुल रकबा 1.66 है. स्थित है। उक्त भूमि में मृतक भोमा का हिस्सा 1/4 है तथा खातेदार था। भोमा का स्वर्गवास दिनांक 28.06.2016 को हो गया। भोमानाथ ने अपीलान्ट को अपने जीवनकाल में गोद ले लिया था जिसका एक गोदनामा दिनांक 4.6.1992 को 50/– रूपये के स्टाम्प पर तहरीर करा दिया जिसका पंजीयन उप पंजीयक सिकराय के यहां दिनांक 5.6.1992 को करा दिया। अपीलान्ट मृतक भोमानाथ का दत्तक पुत्र है तथा उसके हिस्से की भूमि पर उसके जीवनकाल से काबिज चला आ रहा है। भोमानाथ का स्वर्गवास दिनांक 28.06.2016 को हो जाने के बाद उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 5.6.1992 के आधार पर भोमानाथ की विरासत का नामान्तरकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का को आवेदन किया गया जिस पर पटवारी हल्का ने गोद पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोलकर तस्दीक करने हेतु तहसीलदार सिकराय के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिकराय ने दिनांक 3.6.2019 को बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट के नाम विरासत का नामान्तरकरण रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 5.6.1992 के आधार पर तस्दीक करवाने हेतु तहसीलदार सिकराय का आदेश दिनांक 3.6.2019 बाबत नामान्तरकरण 142 के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामा. अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम चांदूसा तहसील सिकराय में स्थित आराजी खसरा नम्बर 440 रकबा 0.01 है., 441 रकबा 0.51 है., 465 रकबा 0.92 है., 466 रकबा 0.03 है., 467 रकबा 0.02 है., 468 रकबा 0.04 है., 487 रकबा 0.13 है. कुल रकबा 1.66 है. की खातेदारी रामधन, जिया पिसरान रामसहाय हिस्सा 1/4, भौरया मांग्या पिसरान मद्दानाथ हिस्सा 1/2, जगदीश, महादेवा पिसरान पून्यानाथ हिस्सा 1/4 दर्ज थी तथा नामा. संख्या 141 दिनांक 10.4.019 से भोरया, मांग्या पिसरान मद्दानाथ जाति जोगी मौकिनदेह के बजाय भोमा, मगनिया पिसरान मद्दानाथ हिस्सा 1/2 के नाम स्वीकार किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि में मृतक भोमा का हिस्सा 1/4 है। भोमा का स्वर्गवास दिनांक 28.6.2016 को हो गया। भोमानाथ ने अपीलान्ट को अपने जीवनकाल में गोद ले लिया जिसका एक गोदनामा दिनांक 4.6.1992 को 50/– रूपये के स्टाम्प पर तहरीर करा दिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसका पंजीयन उपपंजीयक सिकराय के यहां दिनांक 5.6.1992 को पुस्तक संख्या 4, जिल्द संख्या 3, क्रम संख्या 5 पृष्ठ संख्या 56 पर विधिवत रूप से करवा दिया। अपीलान्ट मृतक भोमानाथ का दत्तक पुत्र है तथा उसके हिस्से की भूमि पर उसके जीवनकाल से काबिज चला आ रहा है एवं आज दिन भी काबिज है। अपीलान्ट ने भोमा की मृत्यू के पश्चात् उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 5.6.1992 के आधार पर भोमानाथ की विरासत का नामान्तरकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का को आवेदन किया। जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 4.4.2019 को गोद पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोलकर तस्दीक किये जाने हेतु तहसीलदार सिकराय के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिकराय ने दिनांक 3.6.2019 को अपीलान्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये ही नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। तहसीलदार ने रजिस्टर्ड गोदनामा पर कोई विचार ही नहीं किया तथा तहसीलदार के समक्ष रजिस्टर्ड गोदनामा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी नहीं की गई। इसके बावजूद भी तहसीलदार सिकराय ने गोदनामा का अवलोकन किये बिना ही नामान्तरकरण अवैध रूप से खारिज कर दिया। पटवारी हल्का ने रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 5.6.1992 के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण विधिवत रूप से भरा है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सिकराय का आदेश दिनांक 3.6.2019 बाबत् नामान्तरकरण 142 निरस्त फरमाया जाकर रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 5.6.1992 के आधार पर अपीलान्ट के नाम विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का निवेदन किया।

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 142 पर तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 3.6.2019 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण से सम्बन्धित भूमि के खातेदार भोमा पुत्र मद्दानाथ जाति जोगी के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना था किन्तु पटवारी हल्का द्वारा भोमा जाति जोगी फौत होने पर उसके गोदपुत्र के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं तस्दीक हेतु पेश किया गया है। जिस पर तहसीलदार सिकराय द्वारा यह अंकित करते हुए कि संलग्न दस्तावेजतो के आधार पर भोमा की मृत्यू होने पर गोदनामा का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। जबकि नामान्तरकरण विरासत का बाद जांच/आदेश दर्ज होना था। उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 3.6.2019 को खारिज कर दिया गया है। मृतक खातेदार भोमा के सभी वारिसान की जांच कर विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण मृतक खातेदार के विरासत का नामान्तरकरण नहीं होकर गोदपुत्र का नामान्तरकरण दर्ज होने के कारण तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सिकराय का आदेश दिनांक 3.6.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर एवं मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर नियमोचित कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा